# ऑनलाइन शिक्षण
# विद्यार्थियों के लिए सीखने के अवसरों में बढ़ता अंतर
# (जनपद बागेश्वर के विशेष संदर्भ में)

केवलानंद काण्डपाल*

*वैश्विक महामारी 'कोविड-19' के कारण विश्व के अधिकांश देशों को अपने विद्यालयों को बंद करने का विवशतापूर्ण निर्णय लेना पड़ा। आर्थिक गतिविधियाँ एक तरह से ठप हो जाने से समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के जीवनयापन पर सबसे अधिक दुष्प्रभाव पड़ा और इसका असर इन परिवारों के विद्यार्थियों की शिक्षा पर भी पड़ा। 'ऑनलाइन शिक्षण' के लिए संसाधन जुटाने के लिए आवश्यक आर्थिक सामर्थ्य न होना, नेटवर्क कनेक्टिविटी की समस्या, विद्यार्थियों के साथ-साथ शिक्षकों के लिए शिक्षण की यह विधा एक तरह से नई होने के कारण, 'ऑनलाइन शिक्षण' के लिए ज़रूरी तैयारी का अभाव आदि कारणों से विद्यार्थियों के सीखने के स्तर में अंतर आया है। वस्तुतः विद्यालय में विद्यार्थियों के सीखने के स्तर में थोड़ा-बहुत अंतर तो रहता ही है, विद्यालय इस अंतर को कम अथवा दूर करने के लिए भरसक प्रयास भी करते हैं। 'ऑनलाइन शिक्षण' के कारण इस अंतर की मात्रा में अभिवृद्धि ही हुई है। 'ऑनलाइन कक्षाएँ' किसी भी रूप में विद्यालय की सामान्य कक्षाओं का विकल्प नहीं हो सकती हैं। वैश्विक महामारी के अस्थायी संक्रमण काल में यह एक अनैच्छिक विवशता है। 'ऑनलाइन शिक्षण' के माध्यम से विद्यार्थियों के सीखने के समान अवसर सृजित करने के लिए समुदाय सहभागिता आधारित विद्यार्थियों के 'मोहल्ला समूह', 'बाखली समूह' बनाकर समूह अधिगम उपागम उपयोगी साबित हो सकता है। इसके साथ समय-समय पर शिक्षकों द्वारा इन समूहों से संपर्क करके, ज़रूरी फ़ीडबैक देकर 'सीखने के समान अवसर' सृजित किए जा सकते हैं। 'ऑनलाइन शिक्षण' में बच्चे अधिकांश समय अपने घरों अथवा मोहल्ले अथवा बाखली में व्यतीत करते हैं, अतः उच्च कक्षाओं के बच्चे समुदाय के जागरूक एवं शिक्षित नागरिक, 'विद्यार्थियों के अधिगम समूहों' के मेंटर की भूमिका निभा सकते हैं। यह प्रयास शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के मध्य भौतिक दूरी के कारण विद्यार्थियों के सीखने की चुनौतियों को कुछ सीमा तक कम कर सकते हैं। इस शोध पत्र में जनपद बागेश्वर में किए गए इन्हीं प्रयासों एवं अध्ययन के आधार पर सीखने के अंतरों को बताया गया है, इसके साथ-साथ अध्ययन अनुभवों के आधार पर कुछ व्यावहारिक सुझाव भी दिए गए हैं।*

सीखना-सिखाना एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया (इंटरेक्टिव प्रोसेस) है, यह अंतःक्रिया विद्यार्थी, पाठ्यचर्या के मध्य चलती है, जिससे बच्चे अर्थपूर्ण अनुभव प्राप्त करते हैं। शिक्षक एक फ़ैसिलिटेटर की भूमिका में वातावरण

**प्रधानाध्यापक*, राजकीय उच्चतर माध्यामिक विद्यालय, पुड्कुनी (कपकोट), जनपद-बागेश्वर, उत्तराखण्ड 263642

© NCERT not to be republished

निर्माण और फ़ीडबैक द्वारा इसे संभव बनाते हैं। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि विद्यार्थी एवं शिक्षक साथ-साथ मौजूद हों और पाठ्यचर्या के अनुभवों से विद्यार्थी गुज़रें। दरअसल विद्यालयों में विद्यार्थियों को प्राप्त होने वाले व्यक्तिगत अनुभवों का कोई विकल्प नहीं है। विद्यालय में बच्चे पाठ्यचर्या से गुज़रते हुए शिक्षक के सानिध्य में इन अनुभवों को सहजता से प्राप्त करते हैं और इसी क्रम में बहुत सारे जीवन कौशलों को विकसित करते हैं, जैसे— सहयोग, संप्रेषण, निर्णय लेना, समय प्रबंधन, समस्या समाधान, नेतृत्व, धैर्य, विविधता को स्वीकारना आदि-आदि। विद्यालय में शिक्षण की इस प्रक्रिया को निम्नांकित रेखाचित्र के माध्यम से निरूपित किया जा सकता है—

**फ़ेस टू फ़ेस कक्षाओं में सीखने-सिखाने की प्रक्रिया**

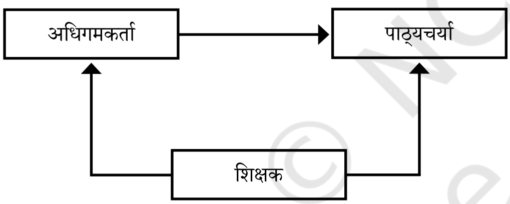


शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है, इसके साथ ही अधिगम एक व्यक्तिगत अनुभव है। हम भारत में परंपरागत कक्षाओं के जिस स्वरूप को देखते आ रहे हैं और इसके लगभग अभ्यस्त भी हो चले हैं, इस ढाँचे की जड़ें औपनिवेशिक शासनकाल से जुड़ी हैं। ये परंपरागत कक्षाएँ तमाम आलोचनाओं के बावजूद हमारे देश की शैक्षिक प्रणाली में अहम स्थान रखती हैं, न्यूनतम मानक स्तर पर होने के बावजूद भी एक भौतिक कक्षा (फ़ेस टू फ़ेस क्लास) एक अध्यापक और कक्षा में मौजूद विद्यार्थियों को एक-दूसरे से अंतःक्रिया करने के अवसरों की संभावनाएँ सृजित करती हैं। इतना ही नहीं, सामान्य दशाओं में विद्यालय आने-जाने के दौरान प्राप्त अनुभव, विद्यालयी पाठ्यचर्या के दौरान कक्षा-कक्षीय और कक्षा-कक्ष के बाहर प्राप्त अनुभव विद्यार्थियों के सीखने के अनुभवों को गहनता और व्यापक विस्तार देते हैं। विद्यालय एक ऐसी स्थूल जगह है, जो प्रत्येक बच्चे को यह विश्वास दिलाने में कमोबेश सफल रहता है कि उन्हें यहाँ सीखने के अवसर मिलेंगे और वे अपनी रुचि, गति और पसंदीदा तरीके से सीख सकेंगे। इस प्रकार विद्यालय में बच्चे के सर्वांगीण विकास के क्रम में अंतर्निहित क्षमताओं के प्रकटीकरण की बेहतर संभावनाएँ रहती हैं। विद्यालय में पाठ्यचर्या के दौरान विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक विकास के साथ-साथ सामाजिक भावनात्मक और जीवन कौशल (टीम वर्क, नेतृत्व, संप्रेषण कौशल, सहयोग एवं सहकारिता, समानुभूति, विविधताओं को स्वीकार करना आदि) मूल्यों के बीजारोपण की प्रबल संभावनाएँ मौजूद रहती हैं। विद्यालयों में विद्यार्थियों को प्रतिदिन जो विविध अनुभव प्राप्त होते हैं, उसका अन्य कोई विश्वसनीय विकल्प नहीं है।

कोविड-19 के कारण विश्व के अनेक देशों में किसी न किसी रूप में विद्यालय एवं उच्च शिक्षा संस्थान बंद रखने पड़े। भारत में जनवरी 2020 में कोरोना ने अपनी दस्तक दी और मार्च 2020 के प्रथम सप्ताह से कोरोना के मामलों की संख्या अप्रत्याशित रूप से बढ़ने लगी। अतः देश के विभिन्न राज्यों में विद्यालय एवं उच्च शिक्षा संस्थान बंद रखने के निर्णय लागू किए गए। उत्तराखंड राज्य में मध्य मार्च 2020 से ही विद्यालय और उच्च शिक्षा संस्थान बंद करने का निर्णय लिया गया और बाद में इस अवधि को समय-समय पर बढ़ाते हुए माह अक्तूबर तक

© NCERT not to be republished

बढ़ाया जाता रहा। यद्यपि इस बीच में उच्च शिक्षा संस्थानों को परीक्षाओं के दृष्टिगत सीमित रूप से खोला भी गया, परंतु प्राथमिक विद्यालय और माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 1 से कक्षा 12 तक) तो अक्तूबर 2020 तक बंद ही रहे हैं। 2 नवंबर, 2020 से बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए केवल दसवीं और बारहवीं कक्षाओं को विद्यालय में पढ़ाने का निर्णय लिया गया। इसमें भी इन कक्षाओं के विद्यार्थियों को विद्यालय में उपस्थित होने की अनिवार्यता एवं बाध्यता से मुक्त रखा गया। इससे इन कक्षाओं के विद्यार्थियों की विद्यालय में नियमित उपस्थिति भी नकारात्मक रूप से प्रभावित हुई।

यह सत्य है कि वैश्विक महामारी कोरोना के कारण विद्यालयों को लंबे समय तक बंद रखने का निर्णय लेना पड़ा। इससे पहले विद्यालय गर्मियों की लंबी छुट्टियों (लगभग 35 दिन) और जाड़ों में कुछ दिनों (लगभग 10–11 दिन) के लिए ही बंद होते रहे हैं। इस अवधि में भी शिक्षकों के द्वारा यह चिंता व्यक्त की जाती रही है कि छुट्टियों में विद्यार्थियों ने जो कुछ भी पढ़ा-लिखा-सीखा था, भूल गए हैं अर्थात् सीखे हुए की हानि हुई है। अब जबकि विद्यार्थियों को 10 माह से अधिक समय से विद्यालय जाने के अवसर नहीं मिल पाए हैं तो इस हानि की गहनता का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। यद्यपि विद्यार्थियों की पढ़ाई-लिखाई का नुकसान न हो इसके लिए वैकल्पिक उपाय के तौर पर 'डिजिटल' 'ऑनलाइन' व 'व्हाट्सएप' कक्षाओं का विचार सामने आया। शुरुआत में इन माध्यमों का उपयोग कोरोना संबंधी जागरूकता, कुछ घरेलू गतिविधियों तक ही सीमित रहा, यह विश्वास था कि इस वैश्विक महामारी से जल्द ही उबर जाएँगे और विद्यालय पहले की तरह सामान्य रूप से संचालित होने लगेंगे। यह आशा पूर्ण न हो सकी, विद्यालय लंबे समय तक बंद ही रहे, सो अपेक्षाकृत बाद में इन डिजिटल माध्यमों से विषयगत पाठ्यचर्या अथवा विषय-वस्तु को विद्यार्थियों तक पहुँचाने के प्रयासों पर ज़ोर दिया जाने लगा। अतः 'ऑनलाइन शिक्षण' का विचार सामने आया और इसके द्वारा पढ़ाई-लिखाई को न केवल जारी रखने, बल्कि पढ़ाई- लिखाई के नुकसान की भरपाई करने का दावा भी शैक्षिक प्रशासकों द्वारा किया गया।

'ऑनलाइन शिक्षण' के दौरान एक नई तरह की कक्षाओं की निर्मिति हुई जो हमारे देश के बहुसंख्यक विद्यार्थियों के लिए एकदम नई है, बहुत हद तक शिक्षकों के लिए भी नई ही है और 'ऑनलाइन कक्षाओं' का यह ढाँचा परंपरागत कक्षाओं के ढाँचे के मुकाबले भिन्न है। विगत एक दशक में, जब से विद्यार्थियों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (वस्तुतः 1 अप्रैल, 2010 से यह भारत में लागू हुआ।) लागू हुआ है, सरकारी विद्यालयों में समाज के अलाभकर वर्ग से विद्यार्थियों का नामांकन बढ़ा है, इसमें से बहुत बड़ी संख्या उन विद्यार्थियों की है, जो अपने परिवारों से प्रथम पीढ़ी के विद्यार्थी हैं। इन विद्यार्थियों एवं परिवारों के लिए सरकारी स्कूलों का चयन एकमात्र विकल्प और अवसर है।

कोरोना काल में विद्यालय बंदी के कारण ऐसे विद्यार्थियों के सीखने के अवसरों में विषमता बढ़ी है। 'ऑनलाइन कक्षाओं' के लिए ज़रूरी संसाधनों तक पहुँच, आधारभूत संरचना की अपर्याप्तता, नेटवर्क की उपलब्धता सबसे बढ़कर आर्थिक संसाधनों की सीमितताओं ने ऐसे विद्यार्थियों के सीखने के

© NCERT not to be republished

अवसरों की विषमता को अधिक गहन ही किया है। इससे पहले विद्यार्थियों को घरों में उपलब्ध संसाधनों की विषमता ज़रूर थी, परंतु विद्यालय में सीखने के अवसरों में करीब-करीब समानता बरती जाती रही है, 'ऑनलाइन कक्षाओं' ने सीखने के अवसरों में भी अंतर पैदा कर दिया है। इस अध्ययन में 'ऑनलाइन शिक्षण' के कारण विद्यार्थियों के सीखने के अवसरों में उत्पन्न हुए अंतर के कारणों और उसके प्रभावों को जानने-समझने का प्रयास किया गया है। जनपद बागेश्वर की स्कूली शिक्षा के दृष्टिगत इस अध्ययन में 'ऑनलाइन शिक्षण' की चुनौतियों और विद्यार्थियों के सीखने के अवसरों में सृजित अंतर के कारणों का विश्लेषण करने का एक 'गिलहरी प्रयास' (स्किवरल अटेम्पट) है।

**जनपद बागेश्वर**— 15 सितम्बर, 1997 को अस्तित्व में आया जनपद बागेश्वर का कुल क्षेत्रफल 2,246 वर्ग किमी. है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार इस जनपद की कुल जनसंख्या 2,59,898 थी, जिसमें 2,29,925 (88.47 प्रतिशत) जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। जनपद में 854 आबाद ग्राम है। इन आबाद 854 गाँवों में 830 (97%) गाँव विद्युतीकृत हैं, दूरभाष संयोजन अथवा कनेक्टिविटी की सुविधा केवल 644 गाँवों (75%) में उपलब्ध है, 186 गाँव इस तरह की सुविधाओं से महरूम हैं। जनपद में लगभग 1,50,000 लोगों के पास मोबाइल फ़ोन हैं, अर्थात कुल जनसंख्या के 42 प्रतिशत के पास यह उपलब्ध नहीं है। जनपद बागेश्वर की 88.47 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, स्पष्ट है कि जनपद के सरकारी स्कूलों में नामांकित विद्यार्थियों की बड़ी संख्या इन्हीं ग्रामीण क्षेत्र (जनपद के कस्बेनुमा शहरी क्षेत्रों में कतिपय निजी स्कूल संचालित हैं, परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्कूल ही संचालित हैं) से आती है। ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति का न होना, दूरसंचार अथवा नेटवर्क कनेक्टिविटी का अभाव होना, मोबाइल फ़ोनों की उपलब्धता एवं उस तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों की पहुँच, ऐसे घटक हैं जो 'ऑनलाइन शिक्षण' के उपक्रम में ऐसे विद्यार्थियों के समक्ष ऐसी विषम चुनौतियाँ प्रस्तुत करते हैं, जिनका समाधान उनके हाथ में नहीं है, परंतु इनसे उनके सीखने के अवसरों में सारभूत अंतर आ जाता है और यह स्वाभाविक भी है।

जनपद बागेश्वर के तीनों विकास खंडों में कक्षा 1 से कक्षा 12 तक कुल 909 सरकारी विद्यालयों में 55,949 विद्यार्थी नामांकित हैं, 3,412 शिक्षक-शिक्षिकाएँ कार्यरत हैं। इसका विकास खंडवार विवरण तालिका 1 में दिया गया है—

**तालिका 1— विकास खंडवार सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों एवं शिक्षकों की स्थिति**

| क्र. सं. | विकास खंड | सरकारी विद्यालय | नामांकित विद्यार्थी | शिक्षक या शिक्षिकाएँ | विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात (पी.टी.आर.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | बागेश्वर | 371 | 24774 | 1563 | 15.85 |
| 2. | गरुड़ | 226 | 15935 | 925 | 17.22 |
| 3. | कपकोट | 312 | 15240 | 924 | 16.49 |
| **जनपद बागेश्वर** | | **909** | **55,949** | **3,412** | **16.40** |

*स्रोत*— यू-डायस (30 सितंबर, 2020), जिला परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा अभियान, जनपद, बागेश्वर।

© NCERT not to be republished

समग्र दृष्टि से विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात (पी.टी.आर.) बहुत कम नज़र आता है, परंतु यहाँ पर उल्लेखनीय है कि जनपद के आधे से अधिक प्राथमिक विद्यालयों में एकल शिक्षक अथवा शिक्षिका कार्यरत हैं। इस प्रकार से एक से अधिक कक्षाएँ, प्रत्येक कक्षा के एक से अधिक विषय और प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों का सीखने के विभिन्न स्तरों पर होना, 'ऑनलाइन शिक्षण' के संदर्भ में, शिक्षक-शिक्षिकाओं के समक्ष आने वाली चुनौतियों का हम सहज ही अनुमान लगा सकते हैं। 'ऑनलाइन शिक्षण' के क्रम में विद्यालयों और शिक्षकों से अपेक्षा की गई कि वे डिजिटल माध्यमों से प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुँचने का प्रयास करेंगे। इसके लिए इंटरनेट द्वारा जहाँ पर यह सुविधा उपलब्ध नहीं है वहाँ डी.टी.एच. माध्यम से इसे पहुँचाएँगे। जनपद के सरकारी विद्यालयों में उपलब्ध इंटरनेट एवं डी.टी.एच. सुविधा का विवरण तालिका 2 में दिया गया है।

इंटरनेट की उपलब्धता की दृष्टि से सरकारी विद्यालयों की स्थिति अत्यंत असंतोषजनक है। डी.टी.एच. की सुविधा भी बहुत कम सरकारी विद्यालयों में उपलब्ध है। दोनों ही मामलों में विकास खंड कपकोट की स्थिति चिंताजनक है। बागेश्वर जनपद का यह विका सखंड दुर्गम एवं अति दुर्गम भू-भाग में अवस्थित है। उक्त समंकों से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यदि विद्यालयों में ये सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं तो विद्यालयों के सेवित क्षेत्रों (गाँवों) में इन सुविधाओं की उपलब्धता चिंताजनक है। इन सुविधाओं के अभाव में 'ऑनलाइन शिक्षण' का लाभ सभी विद्यार्थियों तक पहुँचाना एक अलग तरह की चुनौती है और इसकी व्यवहार्यता भी संदेहों से परे नहीं कही जा सकती है। जनपद के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के पास अधिकतर सामान्य फ़ोन होने से 'ऑनलाइन शिक्षण' में असुविधा होती है। शिक्षा विभाग द्वारा 'ऑनलाइन शिक्षण' पर आयोजित एक वर्चुअल मीटिंग में बताया गया कि जनपद में लगभग 30 प्रतिशत विद्यार्थियों की पहुँच स्मार्ट फ़ोन तक थी, उनके पास नेटवर्क कनेक्टिविटी उपलब्ध थी, कपकोट विकास खंड के लिए यह प्रतिशत 26.72 था। अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय, बेंगलुरु द्वारा आयोजित फ़ील्ड स्टडी में कहा गया है कि 31 प्रतिशत विद्यार्थियों की पहुँच ऑनलाइन शिक्षण हेतु उपयुक्त स्मार्ट फ़ोन तक है।

**तालिका 2— विकास खंडवार इंटरनेट एवं डी.टी.एच. सुविधाओं की स्थिति**

| क्र. सं. | विकास खंड | विद्यालय | इंटरनेट | | डी.टी.एच. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *उपलब्ध है* | *उपलब्ध नहीं है* | *उपलब्ध है* | *उपलब्ध नहीं है* |
| 1. | बागेश्वर | 371 | 32 (8.62%) | 339 (91.38%) | 16 (4.50%) | 355 (95.50%) |
| 2. | गरुड़ | 226 | 28 (12.38%) | 198 (87.62%) | 04 (1.77%) | 222 (98.23%) |
| 3. | कपकोट | 312 | 19 (6.08%) | 293 (93.92%) | 11 (3.53%) | 301 (96.47%) |
| **जनपद बागेश्वर** | | **909** | **79 (8.69%)** | **830 (91.31%)** | **31 (3.41%)** | **878 (96.59%)** |

*स्रोत*— यू-डायस (30 सितंबर, 2020), जिला परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा अभियान, जनपद, बागेश्वर।

© NCERT not to be republished

## साहित्यावलोकन

कुह्फ़ेल्ड एवं अन्य (2020), मैकिंसे (2021), अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय का क्षेत्र अध्ययन (फ़ील्ड स्टडी), मिथ्स ऑफ़ ऑनलाइन एजुकेशन (सितंबर 2020), गाइडेंस नोट— रिमोट लर्निंग एंड कोविड-19 (अप्रैल 2020), गाइडेंस फ़ॉर डिजिटल एजुकेशन, प्रज्ञाता (2020) के गहन अध्ययन और लॉकडाउन अवधि में ऑनलाइन शिक्षण पर केंद्रित वेबिनार में चर्चा-परिचर्चा एवं विमर्श, जनपद बागेश्वर के माध्यमिक विद्यालयों की विभिन्न कक्षाओं में व्हाट्सएप समूहों के अनुभवों के आलोक में जनपद बागेश्वर के विशेष संदर्भ में अध्ययन की ज़रूरत महसूस की गई। यह लेख इसी अध्ययन की निष्पत्ति है।

## प्रविधि

यह अध्ययन वर्णनात्मक, विश्लेष्णात्मक एवं विवरणात्मक प्रकृति का है। कोरोना काल में स्कूल बंदी के दौरान समाचार पत्रों के निरंतर अवलोकन, इसी अवधि में राज्य स्तरीय एवं राष्ट्रीय वेबिनार में सहभागिता एवं विमर्श, अनौपचारिक तौर पर शिक्षकों, विद्यार्थियों और अभिभावकों से बातचीत से प्राप्त अंतर्दृष्टियों एवं अनुभवों का समावेश इस अध्ययन में सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त फ़रवरी 2020 से नवंबर 2020 तक कपकोट विकास खंड में खंड शिक्षा अधिकारी के दायित्व निर्वहन के दौरान 'ऑनलाइन शिक्षण' हेतु विभिन्न माध्यमिक विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के व्हाट्सएप समूहों में शिक्षकों एवं विद्यार्थियों की प्रतिक्रियाओं का अवलोकन करने का भी अवसर मिला। अवलोकन से कपकोट विकास खंड में 'ऑनलाइन शिक्षण' की प्रत्यक्ष चुनौतियों को जानने-समझने का अवसर मिला। इस लेख में इन अनुभवों की प्रतिध्वनियाँ मुख्य रूप से शामिल हैं। समग्र रूप से जनपद बागेश्वर के संदर्भ में यह अध्ययन गुणात्मक एवं विश्लेषणात्मक प्रकृति का ही कहा जा सकता है। इस अध्ययन में प्रथम दृष्टया प्राप्त सूचनाओं तथा अवलोकन तथ्यों के साथ-साथ द्वितीयक समंकों का ही अधिकांशतः प्रयोग किया गया है। एक जनपद के अपेक्षाकृत छोटे सैंपल पर किए गए अध्ययन के आधार पर किसी सामान्यीकृत निष्कर्ष पर पहुँचना उपयुक्त न होगा, तथापि इससे 'ऑनलाइन शिक्षण' के क्रम में आने वाली चुनौतियों और विद्यार्थियों में सीखने के स्तर में आने वाले अंतर के बारे में उपयोगी सुराग निश्चित रूप से मिलते हैं।

## परिणाम एवं चर्चा

मैकिंसे (2020) ने अपने शोध में पाया कि संयुक्त राज्य अमेरिका में ऑनलाइन शिक्षण के कारण विद्यार्थियों के अधिगम स्तर में गिरावट आई है, इतना ही नहीं अधिगम स्तर में इस नुकसान का असर उम्र भर रहेगा। कुह्फ़ेल्ड एवं अन्य (2020) ने संयुक्त राज्य अमेरिका के स्कूल बंदी के कारण सीखने की हानि संबंधी अपने अध्ययन में पाया की विद्यार्थियों में पढ़ने के कौशलों में 63–68 प्रतिशत तथा गणित संबंधी कौशलों में 37–50 प्रतिशत का नुकसान हुआ है। ब्राउन विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इस अध्ययन में पाया गया कि स्कूल बंदी और ऑनलाइन शिक्षण के कारण विद्यार्थियों के पठन कौशल में अधिगम स्तर की गिरावट लगभग एक-तिहाई और गणितीय कौशलों में यह गिरावट लगभग आधी हो गई है। यह नकारात्मक असर

© NCERT not to be republished

समुदाय के अलाभकर वर्ग और आर्थिक दृष्टि से सीमांत पर मौजूद वर्ग के परिवारों के विद्यार्थियों पर अधिक गहन है। ऐसा न मानने का कोई ठोस कारण नज़र नहीं आता कि भारत में भी यह असर इस वर्ग एवं समुदाय के विद्यार्थियों पर नहीं पड़ रहा होगा।

कोविड-19 के कारण स्कूल बंद होने से कमोबेश सभी विद्यार्थियों को सीखने के मौके गँवाने पड़े, परंतु आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के विद्यार्थियों को इसका अधिक नुकसान हुआ, इसमें भी इन परिवारों की बालिकाओं पर इसका सबसे अधिक असर पड़ा। इसे लेकर रोहित धनकर का अवलोकन बहुत सार गर्भित है। धनकर का कहना है, "जब भी कोई मुसीबत आती है, फिर चाहे वह प्राकृतिक हो या फिर मानवजन्य, सबसे ज़्यादा नुकसान कमज़ोर तबके का ही होता है। इस तरह से देखा जाए तो कोरोना के कारण पढ़ाई का नुकसान भी गरीबी के अनुपात में अधिक हुआ है। इससे आगे देखा जाए तो गरीब घरों में भी लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की पढ़ाई ज़्यादा प्रभावित हुई है।"

- 'ऑनलाइन शिक्षण' के लिए कंप्यूटर या स्मार्ट फ़ोन की ज़रूरत होती है। इसके साथ ही निर्बाध विद्युत आपूर्ति और इंटरनेट कनेक्शन की भी। 'ऑनलाइन शिक्षण' के लिए स्मार्ट फ़ोन के प्रयोग के लिए 3G अथवा 4G मोबाइल डाटा की ज़रूरत होती है, कमज़ोर आर्थिक स्थिति के परिवारों के लिए इसे निरंतर वहन कर पाना बहुत मुश्किल होता है। यह परिदृश्य तब अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है, जब इन परिवारों में धनोपार्जन करने वाले सदस्यों में से अधिकांशतः अपना छोटा-मोटा रोज़गार भी कोरोना काल में गवाँ चुके हों। ग्रामीण क्षेत्रों में पहले से ही आर्थिक गतिविधियाँ बहुत सीमित थीं, कोरोना के कारण इन क्षेत्रों में छोटे-छोटे काम-धंधे भी समाप्त हो गए हैं।
- जेंडर समानता के व्यापक विमर्श के बावजूद हमारे समाज में पुरुष सत्तात्मक समाज के अंश गहन रूप से मौजूद हैं। इसका असर भी कोरोना काल में 'ऑनलाइन शिक्षण' के दौरान बालिकाओं की पढ़ाई-लिखाई पर पड़ा है। यदि परिवार में 'ऑनलाइन शिक्षण' के उपयोग हेतु एक ही फ़ोन उपलब्ध है तो यह देखने में आया है कि परिवार में स्कूल जा रहे लड़के को पहले इसका उपयोग करने की अनुमति दी जाती है और बालिकाओं को बाद में इसका उपयोग करने के लिए समझाया जाता है। यह बालिकाओं का एक तरह से भावनात्मक दोहन ही कहा जाएगा। 'ऑनलाइन शिक्षण' के संदर्भ में आयोजित वेबिनारों में बालिकाओं हेतु शिक्षण विषय-वस्तु में रेसिपी, कढ़ाई, सिलाई, साज-सज्जा, चित्रकारी, साफ़-सफाई, घर-सजाना आदि गतिविधियों में व्यस्त रखकर बालिकाओं को तनाव मुक्त रखने की बातें बहुधा सुनने में आईं। यह नज़रिया न केवल बालिकाओं की शिक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शाता है, वरन् पुरुषसत्तात्मक समाज में बालिकाओं को किसी खास भूमिका के लिए तैयार करने की मानसिकता को प्रदर्शित करता है। आश्चर्यजनक तो यह है कि कोरोना काल में भी इसकी प्रबलता नज़र आई, विद्यालय में बालिकाओं को बराबरी के जो मौके मिल सकते थे, कोरोना के कारण उनमें कमी आई और 'ऑनलाइन शिक्षण' के दरमियान भी बालिकाओं के लिए सीखने के समान अवसर

© NCERT not to be republished

कम हुए हैं। जनपद बागेश्वर के ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं की पढ़ाई-लिखाई का एक-दूसरे कारण से भी असर देखने में आया है। सामान्य स्कूली दिनों में बालिकाएँ घरेलू काम-काज के माहौल एवं ज़िम्मेदारियों से 5–6 घंटे दूर रह सकती थीं, इस समय का उपयोग स्वतंत्र रूप से अपनी पढ़ाई-लिखाई में कर सकती थीं, अपने सहपाठियों से चर्चा-परिचर्चा के अवसर निकाल सकती थीं, सीखने की कठिनाइयों पर काम कर सकती थीं। यह भी एक स्वीकृत तथ्य है कि स्कूल के बाद के समय में, घर के काम-काज में सहयोग के लिए बालकों की तुलना में बालिकाओं से ही अपेक्षा की जाती है, फिर भी बहुत हद तक सामान्य स्कूली दिनों में बालिकाएँ सीखने के अवसर निकाल ही लेती थीं, स्कूल बंद रहने पर निश्चित रूप से बालिकाओं के लिए अवसरों में कमी आई है। विद्यालय में प्राप्त अनुभव के आलोक में बालिकाएँ घर के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ पाती थीं, स्कूल बंद रहने पर बालिकाओं की दुनिया को जानने-समझने की यह खिड़की बंद हो गई है। घर में बालिकाओं के लिए अलग तरह की रोक-टोक एवं तनाव होते हैं, विद्यालयों में बालिकाएँ अपने सहपाठियों के साथ मुक्त अथवा मुखर एवं सहज महसूस करती हैं।

- विद्यार्थियों के 'सीखने के स्तर' में अंतर की कई परतें साफ़-साफ़ नज़र आती हैं। मसलन कस्बाई अथवा शहरों में रहने वाले एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले विद्यार्थियों के मध्य, आर्थिक रूप से अपेक्षाकृत सक्षम परिवारों एवं आर्थिक तौर पर चुनौतियों का सामना कर रहे परिवारों से आने वाले विद्यार्थियों के मध्य, बालक एवं बालिकाओं के मध्य, साधन संपन्न निजी विद्यालय एवं सीमित साधन वाले विद्यालयों के विद्यार्थियों के मध्य यह अंतर महसूस किया जा सकता है। इसमें आर्थिक कारण तो प्रमुख है ही, परंतु परंपरागत सोच के कारण भी यह अंतर बढ़े हैं। जनपद के छोटे-छोटे शहरों में एक विशेष प्रवृत्ति देखने में आ रही है, वह यह कि बोर्ड परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के ट्यूशन के संबंध में आर्थिक तंगी के कारण बालिकाएँ वंचित हो रही हैं और बालकों के लिए परिवार किसी भी तरह इसके लिए प्रयासरत हैं।
- विद्यार्थियों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार 2009 के लागू होने से समाज के अलाभकर वर्ग के विद्यार्थियों का सरकारी विद्यालयों में समावेशित होने की प्रक्रिया गति पकड़ रही थी। मध्याह्न भोजन योजना, उत्तराखंड शासन द्वारा निःशुल्क गणवेश, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराने के कारण इसे और अधिक मज़बूती मिलती थी। कोरोना काल में स्कूल बंद रहने से मध्याह्न भोजन में मिलने वाला राशन और कुकिंग कास्ट विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई गई। आर्थिक संकट के दौर में इसमें विद्यार्थियों के परिवार की हिस्सेदारी होना स्वाभाविक था। विद्यालय में बच्चे को कम से कम एक बार पौष्टिक भोजन मिल जाता था, बच्चे उससे वंचित हो गए। इसी प्रकार से गणवेश की धनराशि विद्यार्थियों के खाते में जमा कर दी गई, विद्यार्थियों से बातचीत में यह सुनने में आया है कि इस धनराशि को परिवार की अन्य ज़रूरतों पर व्यय किया जा रहा है, निकट भविष्य में विद्यालय खुलने की क्षीण

© NCERT not to be republished

संभावनाओं के कारण बच्चे के लिए विद्यालय गणवेश का मुद्दा गौण हो गया। यहीं पर यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि उत्तराखंड में विद्यार्थियों को निःशुल्क मिलने वाली पाठ्यपुस्तकें अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई हैं, जबकि शिक्षा सत्र समाप्त होने वाला है। बिना पाठ्यपुस्तकों के 'ऑनलाइन-शिक्षण' किस तरह से अपने शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त कर सकेगा? यह विचारणीय प्रश्न है। इतना ही नहीं इन परिस्थितियों में ऐसे विद्यार्थियों के विद्यालय से 'ड्राप-आउट' होने की संभावनाएँ बलवती हो गई हैं, अपने परिवार से पहली पीढ़ी के रूप में शिक्षा की मुख्यधारा में शामिल हुए थे अथवा हो सकते थे। विगत सामान्य वर्षों में सरकारी प्राथमिक विद्यालयों द्वारा अपने सेवित क्षेत्र के गाँव अथवा कस्बों में 'स्कूल चलो अभियान', जन-जागरूकता कार्यक्रमों के द्वारा ऐसे विद्यार्थियों का विद्यालय में नामांकन का सफल प्रयास किया जाता था। कोरोना काल में विद्यालय बंद रहने से इस तरह के प्रयास कम ही हुए हैं। आशंका इससे भी आगे है कि भविष्य में स्कूल खुलने पर आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों के बच्चे विद्यालय आएँगे कि नहीं। अगर कोरोना काल में ये बच्चे परिवार के लिए रोज़ी-रोटी जुटाने के काम में संलग्न हो गए तो इन विद्यार्थियों की विद्यालय से ड्राप-आउट होने की प्रबल संभावनाएँ हैं।

- सामान्य रूप से विद्यालय संचालित होने पर समय-समय पर विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण होता था, समय-समय पर आयरन की गोलियाँ, पेट के कीड़े मारने की दवा विद्यार्थियों को खिलाई जाती थी। विद्यालय बंद रहने से बच्चे (विशेषकर प्रारंभिक कक्षाओं 1–8 तक के बच्चे) इससे वंचित रहे, इस प्रकार से विद्यार्थियों के स्वास्थ्य पक्ष की उपेक्षा हुई है। यह साधन संपन्न और साधनों की कमी वाले विद्यार्थियों के मध्य गैर ज़रूरी अंतर सृजित करती है।
- 'ऑनलाइन शिक्षण' के क्रम में उत्तराखंड सरकार ने बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से 30 प्रतिशत पाठ्यक्रम कम करने का निर्णय लिया है, जिसमें पाठ्यक्रम कम करके उसे पूरा करने का विचार निहित है। परीक्षा के दृष्टिगत पाठ्यक्रम पूरा करने के उपागम की कई खामियाँ हैं, यह उपागम शिक्षा प्रणाली में परीक्षा की केंद्रीयता को पुष्ट करती है और विद्यार्थियों के सीखने के महत्वपूर्ण तत्व की उपेक्षा होती है। इसी अवधि में उत्तराखंड सरकार ने बोर्ड परीक्षा वाली कक्षाओं (10वीं एवं 12वीं) को 2 नवंबर से संचालित करने का निर्णय लिया। आश्चर्यजनक रूप से 9वीं और 11वीं कक्षा को इसमें शामिल नहीं किया गया, इन कक्षाओं के बच्चे भी कमोबेश समान आयु वर्ग के होते हैं। इस निर्णय में विद्यार्थियों के सीखने के बजाय परीक्षा की केंद्रीयता की बात पुष्ट होती है।

## निष्कर्ष एवं सुझाव

इस शोध अध्ययन के निष्कर्षों को निम्नांकित बिंदुओं में निरूपित करते हुए व्यावहारिक सुझाव दिए गए हैं—

- कोरोना काल में 'ऑनलाइन शिक्षण' के अनुभवों से एक तथ्य स्पष्ट रूप से उभरकर सामने आया है कि सरकारी विद्यालय सूचना एवं प्रौद्योगिकी की दृष्टि से न केवल अवसंरचनात्मक स्तर पर वरन् इसके लिए अध्यापकों में ज़रूरी दक्षताओं

© NCERT not to be republished

की दृष्टि से अपर्याप्त रूप से तैयार हैं। इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाएँ भविष्य में नहीं आएँगी, स्पष्ट रूप से दावा नहीं किया जा सकता है। अतः हमारे विद्यालयों और शिक्षकों को इसके लिए सुविधाओं और कौशल स्तर पर सजग एवं तैयार रहने की ज़रूरत है। इसी अवधि में हमारे देश की 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' जारी हुई है। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी इसी तथ्य की ओर संकेत करते हुए कहा गया है कि, "संक्रामक रोगों वैश्विक महामारियों में हाल ही में वृद्धि को देखते हुए यह ज़रूरी हो गया है कि जब भी और जहाँ भी शिक्षा के पारंपारिक और विशेष संसाधन संभव न हों वहाँ हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के वैकल्पिक साधनों के साथ तैयार हों। यह निर्धारित करने के लिए कि ऑनलाइन अथवा डिजिटल शिक्षा की हानियों को कम करते हुए हम कैसे इससे लाभ उठा सकते हैं, सावधानीपूर्वक और उपयुक्त रूप से तैयार किया गया अध्ययन करना होगा।"

- 'ऑनलाइन शिक्षण' के लिए महत्वपूर्ण रूप से दो ज़रूरी घटक हैं—प्रथम — 'ऑनलाइन शिक्षण' के लिए विद्यार्थियों की सीखने की ज़रूरतों के अनुसार आवश्यक सामग्री—ऑडियो, वीडियो, पीडीएफ़, पिक्चर्स आदि का सृजन करना। इसके लिए विद्यालय स्तर पर क्षमताओं और कौशलों का विकास करने की ज़रूरत होगी और इसके लिए सबसे पहले शिक्षकों के प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

  द्वितीय—इस सृजित सामग्री की गुणवत्ता की विद्यार्थियों के लिए उपयोगिता का आकलन करना। वर्तमान में 'ऑनलाइन शिक्षण' के दौरान देखने में आया है कि पूर्व में सृजित कंटेंट (विशेषकर रा.शै.अ.प्र.प. द्वारा सृजित) को व्हाट्सएप या अन्य माध्यमों से विद्यार्थियों को भेजकर, इसका अध्ययन अथवा अवलोकन करने के लिए कहा गया। विद्यार्थी इस कंटेंट को अपने संदर्भों और सीखने की ज़रूरतों से जोड़ पाने में असफल देखे गए हैं और देखने में यह भी आया है कि इस प्रकार की ढेर सारी सामग्री विद्यार्थियों के पास पहुँचने के कारण उनकी दुश्चिंता बढ़ गई और वे 'ऑनलाइन शिक्षण' प्रक्रिया से विमुख होने लगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस संदर्भ में स्वीकार करती है कि, "प्रभावशाली ऑनलाइन प्रशिक्षक बनने के लिए शिक्षकों को उपयुक्त प्रशिक्षण और विकास चाहिए। पहले से यह माना नहीं जा सकता कि पारंपरिक कक्षा में एक अच्छा शिक्षक स्वचालित रूप से चलने वाली ऑनलाइन कक्षा में भी एक अच्छा शिक्षक सिद्ध होगा। अध्यापन में परिवर्तनों के अलावा ऑनलाइन आकलन के लिए भी एक अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। इसके अलावा जब तक ऑनलाइन शिक्षा को अनुभवात्मक और गतिविधि आधारित शिक्षा के साथ मिश्रित नहीं किया जाता, तब तक यह सीखने के सामाजिक, भावात्मक और साइकोमीटर आयामों पर सीमित फोकस वाली एक स्क्रीन आधारित शिक्षा मात्र बन जाएगी।"

- वर्तमान में भारत में डिजिटल संसाधनों तक पहुँच के दृष्टिगत एक बड़ा अंतर मौजूद है। आर्थिक कारण तो प्रमुख रूप से है ही, इसके अलावा दुर्गम क्षेत्रों तक निर्बाध संचार माध्यमों की उपलब्धता नहीं हो पाई है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एन.एस.एस.ओ.) के एक

© NCERT not to be republished

हालिया सर्वेक्षण में बताया गया है कि भारत में लगभग 25 प्रतिशत घरों में इंटरनेट कनेक्शन हैं, 5 से 24 आयुवर्ग के केवल आठ प्रतिशत विद्यार्थियों के पास अपना व्यक्तिगत डिजिटल डिवाइस और इंटरनेट कनेक्शन है। विद्युत की उपलब्धता और जहाँ बिजली पहुँची भी है वहाँ पर विद्युत की निर्बाध आपूर्ति एक चुनौती है। भारत के सभी गांवों के विद्युतीकरण के दावों के बावजूद आधे से अधिक गांवों में प्रतिदिन 12 घंटे से भी कम विद्युत आपूर्ति होती है। इसी के मद्देनज़र राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सटीक ढंग से इंगित करती है, "ऑनलाइन/डिजिटल शिक्षा का लाभ तब तक नहीं उठाया जा सकता, जब तक डिजिटल इंडिया अभियान और किफ़ायती उपकरणों की उपलब्धता जैसे ठोस प्रयासों के माध्यम से डिजिटल अंतर को समाप्त नहीं किया जाता। यह ज़रूरी है कि ऑनलाइन/डिजिटल शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करके समानता के सरोकारों को पर्याप्त रूप से संबोधित किया जाए।"

- 'ऑनलाइन-शिक्षण' द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए दो स्तरों पर साथ-साथ प्रयास करने की ज़रूरत है।

  पहला—विद्यार्थियों को लगातार सीखने की स्थिति (लर्निंग मोड) में बनाए रखना। इसके लिए विद्यार्थियों की सीखने की ज़रूरतों को संबोधित करना और उसके अनुरूप कंटेंट तैयार करना, उपयुक्त समय पर उन तक पहुँचाना। और दूसरा—इस कंटेंट तक विद्यार्थियों की पहुँच सुनिश्चित करना।
- इंटरनेट कनेक्टिविटी के दो महत्वपूर्ण पक्ष हैं, प्रथम आर्थिक पक्ष—इंटरनेट हेतु डाटा की उपलब्धता, यह परिवार की आर्थिकी से निर्धारित होता है और दूसरा है तकनीकी पक्ष— यह इंटरनेट की उपलब्धता से संबंधित है, इसके लिए सक्षम पक्ष (जो प्रायः सरकार ही होती है,) के निर्णय लेने की ज़रूरत है कि किस तरह से अधिक से अधिक जनसंख्या इंटरनेट कनेक्टिविटी के दायरे में आ सके।
- 'ऑनलाइन शिक्षण' के क्रम में विद्यालय प्रमुख एवं शिक्षकों से अंतःक्रिया के दौरान यह सुनने को मिला कि विद्यार्थी अपने घर पर परिवेश के अनुभव, परिवार के अनुभवों से सीखने में सफल हो जाएँगे, इस मान्यता पर पूर्णतः विश्वास करना उचित नहीं है। इन सभी की भूमिका ज़रूर हो सकती है, सिर्फ़ इससे शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हो सकेगी, इसमें संदेह होता है। इन अनुभवों के आलोक में विद्यालयी पाठ्यचर्या के दौरान इसमें बहुत कुछ जोड़ने-घटाने की ज़रूरत होती है। विद्यालय में शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों की भाव-भंगिमा, व्यवहार, प्रदर्शन एवं प्रस्तुतीकरण के आधार पर उनके सीखने के स्तर, चुनौतियों का आकलन करते रहते हैं और उपयुक्त समय पर फ़ीडबैक देकर सीखने में मदद करते हैं। अकादमिक जगत में इसे 'फ़ॉर्मेटिव असेसमेंट' कहा जाता है। 'ऑनलाइन-शिक्षण' में 'फ़ॉर्मेटिव असेसमेंट' की अति सीमित गुंजाइश होती है, विद्यार्थी सीख रहे हैं या नहीं इसका फ़ीडबैक नहीं मिल पाता है। इसके समाधान के लिए एक पहल अध्ययनकर्ता द्वारा अपने विद्यालय में की गई। उत्तराखंड के कुमायूँ क्षेत्र में गाँवों से घरों के समूह को 'बाखली' कहा जाता है। यह शहरी क्षेत्रों में मोहल्ले के समानुरूप ही है। एक बाखली में रहने वाले विद्यार्थियों के 'बाखली समूह' बनाए गए, इसमें विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थी होते हैं।

इस बाखली में समुदाय के किसी ऐसे व्यक्ति को 'बाखली समूह' का मेंटर बनाया जाता है, जो इन विद्यार्थियों की सीखने की समस्याओं का तात्कालिक रूप से समाधान करने की कोशिश करता है। यदि अपने स्तर से समाधान करने में समर्थ नहीं है तो इसको 'मेंटर शिक्षक' तक पहुँचाता है। विद्यालय के सेवित क्षेत्र के गाँवों के लिए प्रत्येक विषय के अध्यापक मेंटर शिक्षक की भूमिका में रहते हैं, जो नियमित रूप से व्हाट्सएप के माध्यम से कक्षावार व्हाट्सएप समूहों को कंटेंट भेजते हैं, समय-समय पर 'बाखली-समूहों' से व्यक्तिगत संपर्क करते हैं और स्थल (ऑनसाइट) पर ही विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान करते हैं। कोरोना के कारण वापस गाँव लौटे उच्च कक्षाओं में अध्ययन कर रहे युवा 'बाखली समूह' स्थानीय मेंटर की भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभा रहे हैं। 'पीयर लर्निंग' उपागम पर आधारित इस तरह की दूर शिक्षा प्रणाली बहुत कारगर प्रतीत होती है। यद्यपि यह विशुद्ध रूप से 'ऑनलाइन शिक्षण' के स्थान पर डिजिटल माध्यम और व्यक्तिगत संपर्क का सम्मिश्रण है। हमें यह तथ्य स्वीकारना होगा कि समुदाय की सहभागिता के बिना 'ऑनलाइन शिक्षण' बहुत कारगर नहीं है, विशेषकर ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ परिवार में माता-पिता अपनी शैक्षिक पृष्ठभूमि की सीमा के कारण अपने विद्यार्थियों की सीखने की ज़रूरतों में मदद कर पाने में असमर्थ हैं।

- समाज में मौजूद गैर-बराबरी को संबोधित करने के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण हथियार है। सामाजिक न्याय के लिए शैक्षिक न्याय एक मज़बूत आधार भूमिका निर्मित करता है। 'ऑनलाइन शिक्षण' यदि इस गैर-बराबरी को कम नहीं करता, अपितु एक तरह से बढ़ाता ही है, तो इस पहलू पर गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इस मुद्दे को संजीदा ढंग से स्वीकार करते हुए कहती है कि, "वर्तमान महामारी ने स्पष्ट कर दिया है कि ऑनलाइन कक्षाओं के आयोजन के लिए दो-तरफ़ा वीडियो और दो-तरफ़ा ऑडियो इंटरफ़ेस एक वास्तविक आवश्यकता है। अभी भी जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है, जिसकी डिजिटल पहुँच अत्यधिक सीमित है। मौजूदा संचार माध्यम, जैसे— टेलीविज़न, रेडियो और सामुदायिक रेडियो का उपयोग टेलीकास्ट और प्रसार के लिए बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाएगा। जहाँ तक संभव हो; शिक्षकों और छात्रों तक डिजिटल सामग्री उनकी सीखने की भाषा में पहुँचे।" दरअसल डिजिटल माध्यम एक साधन मात्र है, साध्य तो विद्यार्थियों को सीखने हैं, शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करना है। अतः शिक्षा में प्रौद्योगीकी गंतव्य न होकर एक साधन मात्र है, इसे इसी रूप में व्यवहृत करने की ज़रूरत है। किसी भी समाज में चाहे वह संपन्न ही क्यों न हो, शत-प्रतिशत अथवा पूर्णतः तकनीकी आधारित शिक्षा को स्वीकार नहीं किया गया है। वस्तुतः तकनीकी साध्य नहीं वरन् साधन है, कई अन्य साधनों के साथ यह प्रभावी हो सकती है।

- इधर उत्तराखंड में चर्चा है कि बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों को अगली कक्षाओं में प्रोन्नत कर दिया जाएगा। इसके पीछे विचार यह है कि विद्यार्थियों को वर्तमान शिक्षा-सत्र में विद्यालय में पढ़ने के अवसर

© NCERT not to be republished

नहीं मिले हैं, अतः समता के दृष्टिकोण से यह विचार सही प्रतीत होता है। दूसरा यह कि विद्यार्थियों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के कारण किसी भी बच्चे को एक कक्षा में एक वर्ष से अधिक रोका नहीं जाना है। इस निर्णय में कोई दोष भी नहीं है, परंतु स्कूल के खुलने पर इस निर्णय के कारण शिक्षकों के सामने विशेष चुनौतियाँ सामने आने वाली हैं, जो विद्यार्थी इस निर्णय के कारण अगली कक्षा में नामांकित हुआ है, दरअसल सीखने के स्तर पर वह बच्चा अपनी पिछली कक्षा के समकक्ष है अर्थात् कक्षा 6 में नामांकित होने वाला बच्चा कक्षा 5 के स्तर के आस-पास ही है, जिस स्तर पर वह विद्यालय बंद होने के समय था। अतः विद्यालयों के पुनः खुलने पर शिक्षकों को इस तथ्य का संज्ञान लेने की ज़रूरत है। कक्षा-कक्ष में सीखने-सिखाने की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को शुरुआत में स्तर के अनुरूप सीखने की क्षति के परिप्रेक्ष्य में काम करना होगा, इसके बाद ही मौजूदा कक्षा स्तर के अनुरूप अधिगम प्रक्रिया करनी होगी।

- 'ऑनलाइन शिक्षण' शिक्षकों के लिए एकदम नया अनुभव है। जनपद बागेश्वर में जहाँ विद्यालयों में आई.सी.टी. की आधारभूत सुविधाओं का नितांत अभाव है, अधिकांश विद्यालयों और उनके सेवित क्षेत्र में नेटवर्क कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं है। शिक्षक, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म को शिक्षण-अधिगम के लिए उपयोग करने के लिए न तो प्रशिक्षित हैं और न ही इसके अभ्यस्त हैं। दैनिक जीवन में संदेशों, फ़ोटो, वीडियो के आदान-प्रदान करने के लिए भले ही शिक्षक अपने स्मार्ट फ़ोन का उपयोग कर रहे हों, परंतु इसे शिक्षण-अधिगम के माध्यम के रूप में बरतने के लिए कुछ प्रक्रियाओं को अपनाने की ज़रूरत होती है। अतः 'ऑनलाइन शिक्षण' की प्रक्रिया के लिए विधिवत प्रशिक्षण की आवश्यकता है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने डिजिटल एजुकेशन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश-प्रज्ञाता जारी किए हैं। 'ऑनलाइन शिक्षण' प्रक्रिया के लिए इसका अनुपालन करने की नितांत आवश्यक है, जिससे विद्यार्थियों के सीखने के अंतर को कम से कम किया जा सके।

© NCERT not to be republished

## संदर्भ


अज़ीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी. 2020. *मिथ्स ऑफ़ एजुकेशन*. फ़ील्ड स्टडी इन एजुकेशन. सितंबर 2020. पृष्ठ संख्या 7. बेंगलुरू.

कार्यालय अर्थ एवं संख्याधिकारी. 2018–19. *जनपद एक दृष्टि में— जनपद बागेश्वर*. पृष्ठ संख्या 6.

कुह्फ़ेल्ड, मेगन, जेम्स सोलंड, बेथ तरसावा, एंजेला जॉनसन, एरिक रूज़ेक, और जिंग लिउ. 2020. प्रोजेक्टिंग दि पोटेंशियल इंपैक्टस ऑफ़ कोविड-19 स्कूल क्लोजर ऑन एकेडमिक अचीवमेंट (एडिटेड वर्किंग पेपर 20–226). 14 दिसंबर, 2020 को https://doi.org/10.26300/cdrv-yw05 से प्राप्त किया गया.

गाइडेंस नोट — रिमोट लर्निंग एंड कोविड-19. 2020. द वर्ल्ड बैंक एजुकेशन ग्लोबल प्रैक्टिस, अपडेटेड 7 अप्रैल, 2020. 12 दिसंबर, 2020 को डॉक्यूमेंट 1. Worldbank.org/Curated/en/531681585957264427/Guidance-Note-on-Remote-Learning-and-COVID-19. से प्राप्त किया गया.

डिपार्टमेंट ऑफ़ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी. 2020. *प्रज्ञाता-गाइडलाइंस फ़ॉर डिजिटल एजुकेशन.* मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नयी दिल्ली.

मक्निसे. 2020. *अचीवमेंट गैप एंड कोरोना वायरस.* 12 दिसंबर 2020 को https://www.mckinsey.com/industries/public-and-social-sector/our-insights/covid-19-and-student-learning-in-the-united-states-the-hurt-could-last-a-lifetime# से प्राप्त किया गया.

रोहित धनकर. 2020. लड़कियों की शिक्षा पर भारी कोरोना 2020. *अमर उजाला.* नैनीताल, 26 नवंबर, 2020, पृष्ठ 8.

शिक्षा मंत्रालय, 2020. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020.* पृष्ठ संख्या 95–96. भारत सरकार.

© NCERT not to be republished